आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 26/2015

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण।)

बनाम

रंजू देवी

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
08.12.2015	यह अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 1877 दिनांक 01.12.2015 के द्वारा प्रेषित जप्त खाद्यान्न के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजातों (प्राथमिकी दर्ज करने संबंधि आवेदन, जप्ति सूची एवं संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन) का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरांत ज्ञात होता है कि दिनांक 27.11.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा भ्रमण के क्रम मे ज0वि0प्र0बि0 रंजू देवी, अनु0 सं0–64/07 पंचायत भोरहॉ, प्रखंड–पानापुर की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज0वि0प्र0बि0 रंजू देवी अपने घर पर उपस्थित थी, एवं उनके दुकान का गोदाम घर के सामने था। विक्रेता से जब भंडार पंजी वितरण पंजी कैशमेमों मापतौल अनुज्ञप्ति इत्यादि की मॉग की गई तो वे बहाना बनाते हुये वहॉ से भाग गई और उनके घर के सदस्यों से उनको बुलाने का अनुरोध किया गया तो भी वह नही आयी। तत्पश्चात् विक्रेता के गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम के बरामदे पर गेहूँ ढाला हुया पाया गया। बगल में 08 पॉकेट चावल जो जुट के खुला बोरा में 04 पैकेट चावल खुला प्लास्टिक के बोरा में रखा पाया गया एवं बरामदे पर 05 ड्राम जिसमे प्रति ड्राम 210 लीटर किरासन तेल रखा हुआ पाया गया। साथ ही, ड्रम के बगल में 25 लीटर के कैस्ट्रॉल मोबील के खुले जार में किरासन तेल भरा पाया गया। जार मे किरासन तेल रखना एवं गोदाम के बरामदे में गेहूँ ढालने एवं खुले पॉकेट में चावल रखने को अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कालाबाजारी के उदेश्य से रखा हुआ माना गया। इसी कम में, चावल 85 (पचासी) पॉकेट मील सिलाई जिस पर भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ है, जो कि प्रति पॉकेट 50 किलो है, 08 पॉकेट चावल भारतीय खाद्य निगम जुट का खुला बोरा, चार पॉकेट खुला प्लास्टिक बोरा प्रत्येक बोरा का वजन लगभग 50 किलो, 58 बोरा गेहूँ मील	

सिलाई जिसपर भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ प्रत्येक बोरा का वजन 50 किलो, बाहर बरामदे पर ढाले हुए गेहूँ को तीन बोरा मे रखा गया जिसका वजन 150 किलो पॉच ड्राम किरासन तेल प्रति ड्राम 210 लीटर एवं कैस्ट्रॉल के जार मे करीब 25 लीटर किरासन तेल जप्त किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त राशन एवं किरासन को अवैध रूप से पलटी करना एवं किरासन तेल को जार मे रखना कालाबाजारी की मंशा दर्शाने एवं अभिलेख नही दिखाना एवं भाग जाने के आरोप में जन वितरण विक्रेता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पानापुर थाना में प्राथमिकी संख्या 132/2015 दिनांक 27.11.15 धारा 7 ई0सी0 दर्ज की गई। जब्त किरासन तेल गेहूँ एवं चावल को श्री उमेश सिंह जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनु0 सं0–22/07 पंचायत–भोरहाँ को जिम्मेनामा पर दिया गया है।

चूँकि जप्त राशन एवं किरासन को ज0वि0प्र0बि0 रंजू देवी अनु0 सं0–64/07 पंचायत–भोरहाँ, प्रखंड–पानापुर को अपनी दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं के बीच वितरण करना था, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 6 (ए) के तहत जप्त राशन एवं किरासन के अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए अनुदानित दर पर संबंधित लाभूको के बीच वितरण करने का आदेश देने का अनुरोध अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में यह अंकित नहीं किया गया है कि **जप्त सामग्री किस महीने का है, उनका उठाव विक्रेता के द्वारा कब किया गया, उठाव के पश्चात विक्रेता के द्वारा कितने उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित की गई एवं कितने उपभोक्ताओं की सामग्री अवशेष थी।** अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्देश है कि उक्त बिन्दू पर वांछित स्पष्ट प्रतिवेदन इस आदेश की प्राप्ति के **एक सप्ताह के अंदर** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा अपने प्रस्ताव में रंजू देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध पानापुर थाना में प्राथमिकी संख्या 132/15 दिनांक 27.11.15 धारा–7 ई0सी0 के दर्ज किए जाने का प्रतिवेदन अंकित है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज किए जाने के पश्चात् विक्रेता की अनुज्ञप्ति के विरूद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्देश है कि **इस बिन्दू पर भी वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

चूँकि जप्त सामग्री नष्ट होने वाला वस्तु है, इसलिए इसे सर्वोच्चय प्राथमिकता दी जाए।

अभिलेख 07.01.2016 को रखे।

लेखापित एवं संशोधित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 993 / न्यायालय, दिनांक 10/12/15

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय। साथ ही, वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के बेबसाईट पर डाउनलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

10/12/15